

AKSH OPTIFIBRE LIMITED

A - 25, 2nd Floor,
Mohan Co-operative Industrial Estate
Mathura Road, New Delhi-110044, INDIA
Tel. : +91-11-26991508, 26991509
Fax : +91-11-26991510
E-mail : aksh@akshoptifibre.com
Website : www.akshoptifibre.com
CIN NO. : L24305RJ1986PLC016132

Date May 29, 2017

To,

The Manager,
Kautuk Upadhyay
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051

The Manager,
Nitin Pujari
BSE Limited,
Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir,

Reference: Scheme of Amalgamation between APaksh Broadband Ltd. ("Transferor Company") and the Aksh Optifibre Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders.

DCS/AML/MD/R37/759/ 2016-17 BSE Observation Letter dated March 30, 2017

NSE/LIST/10642 NSE Observation Letter dated March 30, 2017

Subject: Newspaper Advertisement regarding notice of National Company Law Tribunal convened meetings of the AKSH Optifibre Limited ("Transferee Company")

In terms of the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement regarding the notice of National Company Law Tribunal Convened meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors (of the value of Rs. 10,000 and above) of the Transferee Company will be held as under to consider the Scheme of Amalgamation between APaksh Broadband Ltd. ("Transferor Company") and the Aksh Optifibre Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders.

Sl. No.	Class of Meeting	Date of Meeting	Time	Place of Meeting
1.	Equity Shareholders	Thursday, 29 th day of June, 2017	11.00 A.M.	F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019
2.	Secured Creditors		12.00 Noon	
3.	Unsecured Creditors (of the value of Rs. 10,000 and above)		2.00 P.M.	

The above is for your information and record.

Yours faithfully
For Aksh Optifibre Limited


Gaurav Mehta
Chief-Corporate Affairs & Company Secretary

Encl: Newspaper Advertisement

Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.machino.com)

3. The Board of Directors recommended a dividend of Rs 2 per share (20% on an equity share of par value of Rs 10) subject to approval of members of the Company at the Annual General Meeting.

*By Order of the Board
For MACHINO PLASTICS LIMITED*

Place: Gurgaon
Date: 26th March, 2017

Sanjiiv Jindal
Managing Director

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
COMPANY APPLICATION NO. (CAA) 42(PB)/2017**

IN THE MATTER OF:

THE COMPANIES ACT, 1956 AND COMPANIES ACT, 2013 INCLUDING ANY STATUTORY MODIFICATIONS OR RE-ENACTMENTS THEREOF FOR THE TIME BEING IN FORCE

AND

IN THE MATTER OF:

SECTIONS 391 TO 394 OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND SECTIONS 230 TO 236 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016 INCLUDING ANY STATUTORY MODIFICATIONS OR RE-ENACTMENTS THEREOF FOR THE TIME BEING IN FORCE

AND

IN THE MATTER OF:

THE SCHEME OF AMALGAMATION OF:

APAKSH BROADBAND LIMITED (CIN: U92111RJ2005PLC056369) having its registered office at F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019, India through its authorized representative Ms. Savita Pandey.

...TRANSFEROR COMPANY / APPLICANT COMPANY NO. 1
WITH

AKSH OPTIFIBRE LIMITED (CIN: L24305RJ1986PLC016132) having its registered office at F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019, India through its authorized representative Mr. Gaurav Mehta.

**...TRANSFeree COMPANY / APPLICANT COMPANY NO. 2
NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF
THE EQUITY SHAREHOLDERS AND SECURED CREDITORS OF
APAKSH BROADBAND LIMITED**

Notice is hereby given that by an order dated the 09.05.2017, the National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi ("said Order") has directed separate meetings to be held of the Equity Shareholders and Secured Creditors of the APAKSH Broadband Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation proposed to be made between APAKSH Broadband Limited ("Transferor Company") and Aksh Optifibre Limited (Transferee Company) and their respective shareholders.

In pursuance of the said order and as directed as herein, further notice is hereby given that separate meetings of the Equity Shareholders and Secured Creditors of the Transferor Company will be held as under, at which time and place the said Equity Shareholders and Secured Creditors are requested to attend:

Sl. No.	Class of Meeting	Date of Meeting	Time	Place of Meeting
1.	Equity Shareholders	Thursday, 29 th day of June, 2017	10.00 A.M.	F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019
2.	Secured Creditors		3.00 P.M.	

Copies of the said Scheme of Amalgamation, Explanatory Statement under Sections 230 and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge within one (1) day (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the shareholders/creditors of the Transferor Company, at the Registered Office of the Transferor Company or at the office of its advocates, M/s. Veda Legal, 208-A/3 Ground Floor, (opp. Syndicate Bank, Andolan Park), Savitri Nagar, New Delhi-110017.

Persons entitled to attend and vote at the meeting (or respective meetings), may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferor Company at F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019 not later than 48 hours before the meeting.

The National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi ("Tribunal") has appointed Mr. Nikhil Singhvi, as Chairperson and Ms. Sharda Karol, as Alternate Chairperson of the said meetings and Mr. Vineet K. Chaudhary, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 5327/ COP No. 4548) as the Scrutinizer to conduct the voting process through ballot or polling paper at the venue of the meeting in a fair and transparent manner. The above mentioned Scheme of Amalgamation, if approved at the meetings, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Date : 24 / 05 / 2017

Place : New Delhi

APAKSH BROADBAND LIMITED

CIN: U92111RJ2005PLC056369

Registered Office: F-1080, Phase III

RIICO Industrial Area Bhiwadi RJ 301019

Tel: No. 011-26991508/09, Fax No. 011-26991510

Sd/-
Nikhil Singhvi
Advocate
Chairperson appointed
for the Meetings

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
COMPANY APPLICATION NO. (CAA) 42(PB)/2017**

IN THE MATTER OF:

THE COMPANIES ACT, 1956 AND COMPANIES ACT, 2013 INCLUDING ANY STATUTORY MODIFICATIONS OR RE-ENACTMENTS THEREOF FOR THE TIME BEING IN FORCE

AND

IN THE MATTER OF:

SECTIONS 391 TO 394 OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND SECTIONS 230 TO 236 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016 INCLUDING ANY STATUTORY MODIFICATIONS OR RE-ENACTMENTS THEREOF FOR THE TIME BEING IN FORCE

AND

IN THE MATTER OF:

THE SCHEME OF AMALGAMATION OF:

APAKSH BROADBAND LIMITED (CIN: U92111RJ2005PLC056369) having its registered office at F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019, India through its authorized representative Ms. Savita Pandey

...TRANSFEROR COMPANY / APPLICANT COMPANY NO. 1
WITH

AKSH OPTIFIBRE LIMITED (CIN: L24305RJ1986PLC016132) having its registered office at F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019, India through its authorized representative Mr. Gaurav Mehta.

...TRANSFeree COMPANY / APPLICANT COMPANY NO. 2

**NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF
THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND
UNSECURED CREDITORS OF AKSH OPTIFIBRE LIMITED**

Notice is hereby given that by an order dated the 09.05.2017, the National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi ("said Order") has directed separate meetings to be held of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of AKSH Optifibre Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation proposed to be made between APAKSH Broadband Limited ("Transferor Company") and Aksh Optifibre Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders.

In pursuance of the said order and as directed as herein, further notice is hereby given that separate meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company will be held as under, at which time and place the said Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors are requested to attend:

Sl. No.	Class of Meeting	Date of Meeting	Time	Place of Meeting
1.	Equity Shareholders	Thursday, 29 th day of June, 2017	11.00 A.M.	F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019
2.	Secured Creditors		12.00 Noon	
3.	Unsecured Creditors (of the value of Rs. 10,000 and above)		2.00 P.M.	

Copies of the said Scheme of Amalgamation, Explanatory Statement under Sections 230 and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge within one (1) day (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the shareholders/creditors of the Transferee Company, at the Registered Office of the Transferee Company or at the office of its advocates, M/s. Veda Legal, 208-A/3 Ground Floor, (opp. Syndicate Bank, Andolan Park), Savitri Nagar, New Delhi-110017.

Persons entitled to attend and vote at the meeting (or respective meetings), may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferee Company at F-1080, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi (Rajasthan)-301019 not later than 48 hours before the meeting.

The National Company Law Tribunal, Principal Bench, New Delhi ("Tribunal") has appointed Mr. Nikhil Singhvi, as Chairperson and Ms. Sharda Karol, as Alternate Chairperson of the said meetings and Mr. Vineet K. Chaudhary (Membership No. FCS 5327/ COP No. 4548) Practising Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the (i) E-Voting process (ii) Postal Ballot and (iii) ballot or polling paper at the venue of meeting in a fair and transparent manner. The above mentioned Scheme of Amalgamation, if approved at the meetings/postal ballot/e-voting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Further Notice is hereby given to the equity shareholders of the Transferee Company (including Public Shareholders as referred to in Circular No. CIR/CFD/CMD/16/2015 dated 30th November, 2015 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") that:

- The Company has provided the facility of voting by postal ballot and e-voting so as to enable the equity shareholders, to consider and approved the scheme. The Company has also provided the facility of ballot or polling paper at the venue of the meeting. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") for facilitating e-voting services.
- This notice of the meeting of the equity shareholders of the Transferee Company along with the relevant documents are placed on the website of the Company at www.akshoptifibre.com and Karvy Computershare Private Limited at www.karvycomputershare.com.

Date : 24.05.2017

Place : New Delhi

Sd/-
Nikhil Singhvi
Advocate
Chairperson appointed
for the Meetings

AKSH OPTIFIBRE LIMITED
CIN: L24305RJ1986PLC016132

Registered Office: F-1080, Phase III, RIICO Industrial Area

Bhiwadi RJ 301019 Tel: No. 011-26991508/09, Fax No. 011-26991510

E-mail: aksh@akshoptifibre.com | Website: www.akshoptifibre.com

पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

606, रतन ज्योति बिल्डिंग, 18, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
टेली. नं.: 91-11-25728601

नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता तथा ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी उक्त अधिनियम के प्रावधानों तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के अंतर्गत तथा इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली नियमों एवं शर्तों के अधीन "जैसा है जहाँ है आधार तथा जो भी वहाँ है आधार" पर प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री "जैसा है जहाँ है आधार तथा जो भी वहाँ है आधार" पर प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री द्वारा 31.5.2016 को रु. 5,98,93,334.00/- के प्रतिभूत क्रेडिटर के बकाए तथा 01.06.2016 से 16.75% प्रतिवर्ष की दर से आगे के व्याज की वसूली का प्रस्ताव करते हैं। यहाँ नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए जनता से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।
ईएमडी तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 4 जुलाई, 2017 के 11.00 बजे पूर्वा. तक। सार्वजनिक नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान: 4 जुलाई, 2017 को 11.30 बजे पूर्वा. में पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., 606, रतन ज्योति बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली

ऋणधारकों का विवरण	1. श्री इन्दरनेशनल ट्रेडिंग एजेंसी 2. श्री चन्द्रकान्त तलवार 3. श्री गानव तलवार
प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	श्री चन्द्रकान्त तलवार के स्वामित्व में आइटम लेन, हा. मुख्य नगर, नई दिल्ली में स्थित अचल आवासीय संपत्ति, संपूर्ण भूतल तथा प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) जो प्लॉट नं. 470, माप 160 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित है, का सभी भाग तथा हिस्सा।
आरक्षित मूल्य	रु. 218.84 लाख (रुपए दो करोड़ तेरह लाख चौरासी हजार मात्र)
ईएमडी	रु. 21.50 लाख

नियम एवं शर्तें

- बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा बोली प्रपत्र से शामिल निविदा दस्तावेज इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., 606, रतन ज्योति बिल्डिंग, 18, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली से प्राप्त की जा सकती है। पुछताछ के लिए इच्छुक बोलीदाता अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी से 4.7.2017 को या उससे पूर्व 97114-01771 से संपर्क कर सकते हैं।
- इच्छुक बोलीदाता निविदा दस्तावेजों में यथा वांछित तथा दर्शायी गई दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के द्वारा यहाँ ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को या उससे पूर्व उपरोक्त ईएमडी जमा कर सकते हैं।
- आरक्षित मूल्य से कम/बिना ईएमडी/क्यालिफायड/शर्तपूर्ण प्रस्तावों को अयोग्य कर दिया जाएगा।
- इच्छुक व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी श्री विश्व रंजन घटजी से 97114-01771 पर संपर्क कर 23 जून, 2017 को 10 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. तक संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
- प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रतिभूत परिसंपत्ति का भौतिक कब्जा है तथा उन्हें प्रतिभूत क्रेडिटर को किसी भी अधिकारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अधिकारों, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के टाइटल तथा प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/वक्तियों की अपनी स्वतंत्र गणना कर लें। सार्वजनिक नीलामी का यह विज्ञापन प्रतिभूत क्रेडिटर की किसी प्रतिनिधित्व अथवा किसी प्रतिनिधित्व का घटक नहीं माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी एवं/अथवा प्रतिभूत क्रेडिटर किसी भी रूप में किसी भी अधिकार, चार्ज, सत्कारी बकाए, उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों पर थर्ड पार्टी के दावे, यदि कोई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे तथा यह संबंध क्रेता के एकाकी उत्तरदायित्व के अधीन होगा।
- प्राप्त किए गए प्रस्तावों को पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. के कार्यालय, दिल्ली में 4.7.2017 को 11.30 बजे पूर्वा. में अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोलकर विचार किया जाएगा। जब प्रस्तावक उपस्थित रह सकते हैं तथा यदि वे ऐसा चाहें, यदि एक से अधिक बोलीदाता हों, इंटर से बिडिंग द्वारा अपने प्रस्ताव में वृद्धि कर सकते हैं।
- जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 5.00 लाख के गुणकों में अपने प्रस्ताव में आगे सुधार कर सकते हैं।
- सफल बोलीदाता को उपबंध (2) में वर्णित भुगतान की प्रक्रिया में नीलामी बिक्री कार्रवाई की पूर्णता पर तत्काल 25% बिक्री मूल्य (पूर्व प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा। शेष क्रय मूल्य का भुगतान उन्हें सूचित की गई बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि में किया जाएगा।
- उक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगी तथा धरोहर राशि के साथ सफल बोलीदाता द्वारा की गई संपूर्ण भुगतान जब्त कर ली जाएगी। उक्त संपत्ति पर सफल क्रेता का कोई भी दावा नहीं रहेगा तथा पेगासस द्वारा कोई भी सूचना दिए बिना संपत्ति की फिर से बिक्री कर दी जाएगी।
- नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। सफल उच्चतम बोलीदाता के मामले में ईएमडी उनकी बिक्री मूल्य में समायोजित कर ली जाएगी। ईएमडी पर कोई व्याज नहीं दी जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी को यहाँ वर्णित बिक्री के संदर्भ में संपूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रतिभूत क्रेडिटर के परामर्श के साथ लिया गया उनका फैसला हर समय मान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा सार्वजनिक नीलामी/ बिक्री को स्थगित/ रद्द/ निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। नीलामी बिक्री की विफलता की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी को उसके बाद किसी भी समय निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री करने का अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण मुख्य न्यायपीठ, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी आवेदन क्र. (सीए)42(पीबी)/2017

के मामले में:

किसी भी वैधानिक परिवर्तनों या तात्कालिक रूप से वर्तमान में लागू पुनर्नियमनों सहित कंपनी अधिनियम 1956 तथा कंपनी अधिनियम 2013

तथा

के मामले में:

किसी भी वैधानिक परिवर्तनों या तात्कालिक रूप से वर्तमान में लागू पुनर्नियमनों सहित कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के संपादित कंपनी अधिनियम 1956 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 तथा 394, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 तथा 236

तथा

के मामले में:

एकीकरण योजना:

अपक्ष ब्रॉडबैंड लिमिटेड (CIN: U92111RJ2005PLC056369) जिनका पंजीकृत कार्यालय F-1080, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-III, भिवाडी (राजस्थान)-301019 में स्थित है के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती सविता पांडे के माध्यम से

हस्तांतरी कंपनी/आवेदक कंपनी नं. 1

के साथ

अक्ष ऑप्टीफायबर लिमिटेड (CIN: L24305RJ1986PLC016132) जिनका पंजीकृत कार्यालय F-1080, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-III, भिवाडी (राजस्थान)-301019 में स्थित है के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गौरव मेहता के माध्यम से

हस्तांतरित कंपनी/आवेदक कंपनी नं. 2

अक्ष ऑप्टीफायबर लिमिटेड के अंशधारकों, प्रत्याभूत लेनदारों,

अप्रत्याभूत लेनदारों की मीटिंग की सूचना तथा विज्ञापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण मुख्य न्यायपीठ, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2017 (कथित आदेश) द्वारा अक्ष ऑप्टीफायबर लिमिटेड के अंशधारकों, प्रत्याभूत लेनदारों, अप्रत्याभूत लेनदारों की पृथक मीटिंग अपक्ष ब्रॉडबैंड लिमिटेड (हस्तांतरी कंपनी) तथा अक्ष ऑप्टीफायबर लिमिटेड (हस्तांतरित कंपनी) तथा संबंधित अंशधारकों के मध्य प्रस्तावित एकीकरण योजना स्वीकृति सहित या बिना स्वीकृति के यदि उपयुक्त हो पर विचार करने के उद्देश्य से निर्देशित किया गया है।
उक्त आदेश के निर्देश के संबंध में आगे सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार अंशधारकों, प्रत्याभूत लेनदारों, अप्रत्याभूत लेनदारों की पृथक मीटिंग आयोजित की गई है, अंशधारकों, प्रत्याभूत लेनदारों, अप्रत्याभूत लेनदारों से निवेदन है कि उस समय तथा स्थान पर उपस्थित रहें।

क्र.	मीटिंग का वर्गीकरण	मीटिंग की दिनांक	समय	मीटिंग का स्थान
1.	अंशधारक	गुरुवार, 29 जून 2017	प्रातः 11 बजे	F-1080, रीको
2.	प्रत्याभूत लेनदार		दोपहर 12 बजे	इंडस्ट्रीयल एरिया,
3.	अप्रत्याभूत लेनदार (रुपये 10,000 और इससे अधिक मूल्य)		दोपहर 2.00 बजे	फेस-III, भिवाडी (राजस्थान)-301019

कथित एकीकरण योजना की प्रतिलिपी कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6 के संपादित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 तथा 102 अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण तथा प्रतिपत्र का प्रारूप हस्तांतरित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या अधिवक्ता मे. वेदा लोगन, 208-ए/3, भूतल, (सिंडिकेट बैंक, आंदोलन पार्क के सामने) सावित्री नगर, नई दिल्ली-110017 के कार्यालय से एक (1) दिन के अंदर (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टीओं के अलावा) हस्तांतरित कंपनी के अंशधारकों/लेनदारों द्वारा निवेदन करने पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
उपस्थिति एवं मीटिंग में मतदान के पात्र (या संबंधित मीटिंगों) व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रतिपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, बशर्ते सभी प्रतिपत्र निर्धारित प्रारूप में हस्तांतरित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय F-1080, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-III, भिवाडी (राजस्थान)-301019 में मीटिंग के 48 घंटे के पूर्व जमा कर दिए जाएं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण मुख्य न्यायपीठ, नई दिल्ली (ट्रिब्यूनल) उपरोक्त मीटिंग हेतु श्री निखिल सिन्घवी को अध्यक्ष तथा श्रीमती श्रद्धा कारोल को अतिरिक्त अध्यक्ष तथा निम्न एवं पारदर्शी प्रकार से मीटिंग स्थल पर (i) ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा (ii) पोस्टल बैलेट तथा (iii) बैलेट या पेपर पोलिंग के संचालन एवं अन्वेषण हेतु कार्यरत कंपनी सचिव श्री विनित के. चौधरी (सदस्यता क्र. एफसीएस 5327/सीओपी नं.4548) की नियुक्ति की गई है। उपरोक्त एकीकरण योजना यदि मीटिंग/पोस्टल बैलेट/ई-वोटिंग में स्वीकृत हो जाती है तो ट्रिब्यूनल के आगामी स्वीकृति पर निर्भर है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/16/2015 दिनांक 30 नवंबर 2015 में संदर्भित (साधारण अंशधारक सहित) हस्तांतरित कंपनी के अंशधारकों एतद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि:

- कंपनी द्वारा योजना पर विचार करने एवं स्वीकृति हेतु अंशधारकों को पोस्टल बैलेट तथा ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा मीटिंग स्थल पर बैलेट या पेपर पोलिंग की सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी द्वारा ई-वोटिंग की सेवा हेतु कार्य कम्प्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड (कार्वा) को नियुक्त किया है।
- संबंधित दस्तावेजों सहित हस्तांतरित कंपनी के अंशधारकों की मीटिंग की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.akshoptifibre.com तथा कार्वा कम्प्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvycomputershare.com पर प्रदर्शित की गई है।

दिनांक : 24.05.2017

स्थान : नई दिल्ली

हस्ता.

निखिल सिन्घवी

अधिवक्ता

मीटिंग के नियुक्त, अध्यक्ष

अक्ष ऑप्टीफायबर लिमिटेड

CIN: L24305RJ1986PLC016132

पंजीकृत कार्यालय: F-1080, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-III, भिवाडी

टेली. नं.: 011-26991500, फैक्स नं.: 011-26991510